राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर।

कमांक–मुख्या/याता./संचालन/2020/316 दिनांक–24.5.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में निगम द्वारा **राजस्थान –हरिद्वार– राजस्थान (मोक्ष कलश स्पेशल)** रोडवेज बसों के संचालन का कार्य दिनांक 25.05.2020 से शुरू किया जाना है। इस सम्बन्ध में पंजीयन का कार्य आर.एस.आर.टी.सी. की वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in और www.rsrtconilne.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है। इस आदेश के द्वारा आप सभी जोनल मैनेजर/मुख्य प्रबन्धकों से अपेक्षा की जाती है कि आपको सूचना दिये जाने के उपरान्त आप कार्यक्रम अनुसार हरिद्वार के लिए बसें चलाना सुनिश्चित करेगें। इस हेतु निर्धारित प्रकिया निम्नानुसार रहेगी :–

1. चूंकि राज्य सरकार द्वारा यह यात्रा निःशुल्क करवाई जा रही है तथा संभावित यात्रियों की संख्या काफी अधिक होने के कारण वे अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकेगें। आप सीधे अपने स्तर से कोई टिकिट आदि बुक न करें। आप अपने क्षेत्र में इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। **यात्रियों की बुकिंग की गाईड लाईन संलग्नक–1 है।**

2. चूंकि एक दिन में सीमित बसें ही राजस्थान से रवाना होगीं इसलिए आपके बस स्टेण्ड से बस रवानगी की सूचना मुख्यालय से मिलने पर आप उचित तैयारी रखें तथा उपलब्ध कराई गई सूची के यात्रियों को ही बैठने की व्यवस्था करावें। **मुख्यालय पर एक टीम इस कार्य के लिए नियुक्त करदी गई है जो संलग्नक–2 है।**

3. यात्रियों को पंजीयन के समय समस्त सूचना पोर्टल पर दी जा रही है फिर भी निम्नलिखित नियम आपकी जानकारी में रहने आवश्यक हैं तथा यात्रियों को भी यात्रा से पूर्व बतादें।

क. उक्त यात्रा में एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम 2 (दो) व्यक्ति अनुमत होगें। पूजा सामग्री/घाट पर पूजा /हरिद्वार में भोजन आदि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा बताये गये अनुसार उनके निर्धारित दरों पर स्वयं करनी होगी ।

ख. यह भी सूचित करना उचित होगा कि पंजीयन करवाकर पंजीकृत होने पर आप यात्रा कर सकते हैं और आपको दिये गये मोबाईल नम्बर पर सूचित कर दिया जायेगा कि आपके लिये निर्धारत बस किस स्थान से कब (दिन/समय) रवाना होगी। आप द्वारा मोबाईल पर जवाब नहीं देने अथवा निर्धारित समय पर बस पर नहीं पहुंचने पर आपको पुनः सारी प्रकिया दोहरानी पडेगी जिसमें आपको विलम्ब से सीट मिलने पर आपकी अपनी जिम्मेदारी है।

ग. यदि यात्रा के दिन इस संबंध में केन्द्र सरकार/ किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोरोना संकमण अथवा अन्य कोई विपरीत परिस्थिति की वजह से यदि कोई अन्यथा निर्णय हो जाता है तो राज्य सरकार/निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।

घ. यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुये यात्रा की तैयारी करें।

- एक अस्थि कलश के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही यात्रा हेतु अनुमत होगें। पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का नाम, यात्रियों के नाम, आधार/जनाधार कार्ड, मोबाईल नम्बर की जानकारी अनिवार्य होगी।
- पंजीयन में यह नियम होगा कि यात्रियों की आने–जाने की बुकिंग एक साथ ही होगी एवं उसी वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा एवं हरिद्वार में किसी भी परिस्थिति में रूकने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
- उक्त यात्रा हेतु पंजीयन करते समय तथा बाद में यात्रा के दौरान अपने पास मोक्षधाम/निगम/पालिका/ पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र अपने पास रखें एवं यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
- वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुये अधिकतम 30 यात्री ही बैठाये जायेगें। पंजीकृत यात्री को ही यात्रा की अनुमति होगी। अतः अपना पहचान पत्र साथ रखें।
- सभी यात्रियों को मास्क पहन कर यात्रा करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं होने पर बस स्टैण्ड/बस के अन्दर प्रवेश नहीं मिलेगा। वाहन में कोई यात्री पान, गुटखा, बीडी एवं सिगरेट का उपयोग नही करेगा तथा न ही थूकेगा।
- यदि यात्रा के दिन इस संबंध में केन्द्र सरकार/ किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण अथवा अन्य कोई विपरीत परिस्थिति की वजह से यदि कोई अन्यथा निर्णय हो जाता है तो राज्य सरकार/निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- कोराना वायरस महामारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन यात्रा करने के लिए अनिवार्य होगा तथा ओर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रोडवेज के कंट्रोल रूम मोबाईल नं. 9549456745 एवं टोल फ्री न. 18002000103 पर सूचना प्राप्त करें।

4. निगम द्वारा कोरोना संक्रमण के मध्यनजर इस पूरी प्रकिया के संबंध में निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जानी प्रस्तावित की जाती हैः–

मुख्य प्रबन्धको हेतु दिशा–निर्देशः–

1. जिस दिन हरिद्वार हेतु वाहन रवाना होना है, उसकी अग्रिम तैयारी रखी जाये। प्रत्येक वाहन पर दो चालक तय करें ताकि जाने तथा आने की दूरी में काम बांटा जा सके।
2. आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कीनिंग से जांच कर बस स्टैण्ड में प्रवेश सुनिश्चित करें।
3. आगार के जिन बस स्टैण्ड पर बसों का संचालन प्रारम्भ हो जायेगा उनमें सैनेटाइजेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं सैनेटाइजेशन मेटेरियल बस में भी स्प्रेयर के साथ रखवां लें। आगार कार्यशाला से प्रस्थान करने वाली समस्त वाहनों को अच्छी तरह से सैनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. यह सुनिश्चित करें कि सभी वाहन हरिद्वार में निर्धारित स्थान पर ही रूकेगें तथा यात्रियों को वापसी का समय बोलकर बताया जाये तथा सभी यात्रियों को लेकर बस निर्धारित समय पर रवाना हो।
5. सभी चालक/परिचालको कों राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप मास्क, हेण्डवाश अथवा हेंड सैनेटाईजर, अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. सभी वाहनों में यात्रियों के मध्य उचित दूरी बनाये रखने के लिये सीट एवं स्थान चिन्हित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. प्रत्येक परिचक की समाप्ति के पश्चात वाहनों को आवश्यक रूप से सैनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

परिचालको हेतु दिशा–निर्देशः–

1. सभी परिचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त यात्रा के दौरान यात्रियों से प्रिन्टेड रसीद/ मोबाईल पर स्क्रीनशाट आदि प्रस्तुत करने हेतु कहें। आधार/जनाधान कार्ड भी देखलें और यात्रियों के साथ पूर्ण सहयोग करें।
2. परिचालक अनिवार्य रूप से हाथ सैनेटाईज करें एवं मास्क आदि का उपयोग सुनिश्चित करें।
3. परिचालक बस में यात्रियों को कतार के माध्यम से यात्रियों के मध्य पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुये प्रवेश करावें। बिना मास्क वाले यात्री को यात्रा नहीं करने का निर्देश ऊपर दिया जा चुका है। यात्रियों को बस में निर्धारित स्थानों से इधर–उधर नहीं जाने के संबंध में घोषणा कर दें तथा इसकी पालना सुनिश्चित करें।
4. चिन्हित सीट/स्थान पर यात्री उपलब्ध होने के पश्चात किसी यात्री को बस में प्रवेश न देवें।
5. यात्रियों को यात्रा से पूर्व अच्छे से हैण्डवाशिंग करने तथा यात्रा के दौरान स्वयं का हैंड सैनेटाईजर प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जावें।

चालकों हेतु दिशा–निर्देशः–

चालक बस का चार्ज लेने से पूर्व बस के सैनेटाईज होने के संबंध में भली–भांति जांच लेवे। अपना मास्क लगाये रखें तथा बीच रास्ते में सवारी न लेवें और न ही उतारें। हरिद्वार में बस उतारने के बाद बस के वापस प्रस्थान के बीच बस को सैनेटाईज कर लें।

संलग्नक (2)

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक–मुख्या/याता./संचालन/2020/316

दिनांक–24.5.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय,जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, यातायात मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह एंव परिवहन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव अति0 मुख्य सचिव उ़द्योग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, परिवहन, परिवहन विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान सरकार............................
7. समस्त विभागाध्यक्ष..राज. परिवहन निगम,जयपुर।
8. उप महा प्रबधक(आई.टी.), राज. परिवहन निगम,जयपुर।
9. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क)/प्रभारी कन्ट्रोल रूम, राज. परिवहन निगम,जयपुर।
10. समस्त जोनल मैनेजर, राज. परिवहन निगम......................
11. समस्त मुख्य प्रबन्धक,राज. परिवहन निगम......................
12. आदेश पत्रावली।

(एम.पी.मीना)
कार्यकारी निदेशक(यातायात)

सलंग्नक – 1

यात्रियों हेतु पंजीयन के दिशा–निर्देश

1. पंजीयन से पूर्व ध्यान रहे कि एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही निःशुल्क यात्रा हेतु अनुमत होंगे। पंजीयन के समय जरूरी जानकारी भरदें।
2. यह भी ध्यान रहे कि पंजीयन दोनों तरफ की निःशुल्क यात्रा का है तथा निःशुल्क यात्रा की शर्तो के अनुसार जिस वाहन में आप जा रहे हैं, उसी में वापस आना अनिवार्य है। आपको बस में उतने से लेकर वापस बस में आने तक हरिद्वार में पर्याप्त समय दिया जायेगा। बस की रवानगी का समय ध्यान में रखें।
3. यात्री द्वारा सर्वप्रथम आर.एस.आर.टी.सी. की वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in और www.rsrtconilne.rajasthan.gov.in खोल कर उसके होम पेज पर "मोक्ष कलश स्पेशल" लिंक पर क्लिक करना है । इस लिंक पर पंजीयन का पोर्टल खुल जायेगा।
4. इस पोर्टल पर निम्न जानकारी भरी जानी है :–

   क– दिवंगत का नाम

   ख– दिवंगत की मृत्यु दिनांक

   ग– दिवंगत के साथ यात्रा करने वाले दो व्यक्तियों की जानकारी नाम,लिंग,उम्र तथा मोबाइल के साथ जन आधार/आधार नंम्बर का अंकन किया जाना है।

   ड– यात्रा कहां से की जानी है, उसके लिए जिले का चयन किया जाना है। उस जिले का रोडवेज के आगार स्वतः ही प्रदर्शित हो जावेगें तथा इनमें से निकटतम बस स्टेण्ड का चयन किया जाना है। उदाहरण के लिए यदि आप डीडवाना रहते हैं तो नागौर जिला चयन करते ही उसमें नागौर तथा डीडवाना दोनों बस स्टेण्ड के विकल्प आयेगें तो आप जिले मे नागौर तथा बस स्टेण्ड में डीडवाना चयन कर लीजिए।
5. पोर्टल पर जानकारी भरने के बाद यात्रा की सभी शर्ते पढ कर स्वीकार कर सबमिट करना है। उसके बाद SEND OTP पर क्लिक करके OTP प्राप्त होगा जिसे अगली स्क्रीन पर Verify वेरीफाई करना है। मोबाईल नम्बर वेरीफाई होते ही पंजीयन क्रमांक जनरेट होगा तथा आप इसका प्रिन्ट निकाल/मोबाईल में स्क्रीनशाट लेकर अपने पास यात्रा के लिए सुरक्षित रखें।
6. पंजीयन फॉर्म भरने में समस्या होने पर श्री अशोक शर्मा मो0 9549652841 एवं श्री अतुल सैनी मो0 9549234589 से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत आने पर आप श्री गिरिराज मो0 9414032006 श्री सुधीर दीक्षित मो0 7665279641 अथवा टोल फ्री नम्बर 18002000103 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक एफ/मु0./पीएस/सीएमडी/2020/477 दिनांकः– 24/5/2020

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के निर्देशों पर संचालित होने वाली "**मोक्ष कलश स्पेशल**" बस सेवा (राजस्थान–हरिद्वार–राजस्थान) का प्रबन्धन देखने के लिए निम्नानुसार एक टीम का गठन किया जाता है :–

1. श्री गिरिराज स्वामी, महा प्रबन्धक (टायर), जयपुर मो0 नं0 9414032006
2. श्री सुधीर दीक्षित, सहा.यांत्रिक अभियन्ता, केन्द्रीय भण्डार– मो0नं0 7665279641
3. श्री संदीप सांखला, उत्पादन प्रबन्धक,केन्द्रीय कार्यशाला,जयपुर–मो0 9588808230

उपरोक्त टीम कार्यकारी निदेशक (यातायात) के निर्देशानुसार कार्य करेगी। इसका कार्य निम्नानुसार होगा :–

A. प्रति दिन सांय 6.00 बजे पंजीयन की सूचना लेकर फिल्टर कर अगले दिन प्रस्थान होने वाली बसों का कार्यक्रम निर्धारित करना।

B. कन्ट्रोल रूम के माध्यम से निर्धारित बसों में जाने वाले यात्रियों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दिये गये मोबाईल नम्बर पर सूचित करना।

C. यात्रियों की सूची अविलम्ब सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक को उपलब्ध कराकर बसों की रवानगी इस प्रकार से करें कि यह बस अगले दिन निर्धारित समय पर हरिद्वार पहुंच जावे।

D. बस की लगातार मोनेटरिंग करना, बस द्वारा निर्धारित नियमों की पालना करना तथा हरिद्वार से बस की रवानगी समय पर हो, यह सुनिश्चित करना।

यदि इस सम्बन्ध में उक्त टीम को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अधोहस्ताक्षरकर्त्ता या कार्यकारी निदेशक (यातायात) को बता सकते हैं।

संलग्न– इस संबंध में जारी पत्र की प्रति

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ/मु0./पीएस/सीएमडी/2020/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव कार्यकारी निदेशक (प्रशासन/यातयात), राज. परिवहन निगम,मु. जयपुर।
2. उप महा प्रबन्धक(प्रशासन/आईटी), राज. परिवहन निगम,मु. जयपुर।
3. समस्त जोनल मैनेजर, राज. परिवहन निगम, जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक (जन सम्पर्क), राज. परिवहन निगम,जयपुर।
5. प्रभारी कन्ट्रोल रूम, राज. परिवहन निगम,मु0 जयपुर।
6. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राज. परिवहन निगम,..................
7. आदेश पत्रावली।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

मुख्यालय पर कार्यरत टीम द्वारा पोर्टल पर आने वाले डेटा का विश्लेषण तथा आगे की जाने वाली कार्यवाही

- ✓ इस डाटा का विश्लेषण कर निगम द्वारा प्रतिदिन की बस यात्रियों की सूची आगार के नाम सहित तैयार की जायेगी
- ✓ मोक्ष कलश पोर्टल से 24 घंटे में होने वाले पंजीयन के डाटा के आधार पर प्रति दिन सांय 6.00 बजे प्रथमतः जिला वार डाटा को अलग किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संभाग/जिले से प्रति दिन बस जा पायें। बसों की संख्या पूरे राजस्थान के लिए निर्धारित रहेंगी जिनका संख्या के अनुसार आवंटन मुख्यालय से होता रहेगा।
- ✓ प्रत्येक जिले में **क– पंजीयन के सबमिट होने का समय** तथा **ख–दिवंगत की मृत्यु दिनांक के आधार** पर एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची को प्रत्येक 30 यात्री पर एक बस के आधार पर आगार का आवंटन किया जायेगा।
- ✓ आगार–वार तैयार सूची को निगम कण्ट्रोल रूम के माध्यम से यात्रियों को यात्रा, दिनांक, समय, आगार का नाम एवं प्रस्थान स्थल की जानकारी फोन के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। यह कार्य पूर्ण सावधानी से इस उद्वेश्य हेतु बनाई गई टीम के निर्देशन में प्रति दिन सांय 7 से 8 बजे के बीच किया जायेगा।
- ✓ उपरोक्त तैयार सूची मय यात्रियों के नाम, मोबाईल न. के साथ आगारों को भी जितनी जल्दी संभव हो, उपलब्ध करवाई जावेगी।
- ✓ तत्पश्चात तय समय पर वाहनों का संचालन किया जाकर यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचा कर एवं वापिस उसी प्रस्थान स्थल पर लेकर यात्रा सम्पन्न करवाई जावेगी।

24/5

(नवीन जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
रा.रा.प.प.नि., जयपुर